संकल्प

11-01-2010 अ/सं०-1

संख्या–वन भूमि–21/2009 ८५(ई) प०व० पटना–15, दिनांक–........ ~~/09/2009~~

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा वाद W.P. (c) संख्या–202/1995 से उदभूत अन्तर्वर्त्ती आवेदन संख्या–2143 में दिनांक–10.07.2009 को पारित आदेश में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राज्य क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (State CAMPA) के गठन हेतु तैयार किये गये दिशा निर्देशों को स्वीकार किया गया है एवं इस संबंध में अनुपालन हेतु पूर्व में दिये गये आदेशों को इस हद तक संशोधित किया गया है।

उपर्युक्त आदेश/दिशा–निदेशों के अनुपालन में राज्य क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (जिसे आगे State CAMPA कहा जाएगा) का गठन किया जाता है एवं इस संदर्भ में पूर्व में पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–20 (ई०) दिनांक–06.01.2005 को निरस्त किया जाता है।

राज्य कैम्पा के मूलभूत लक्ष्य एवं केन्द्रीय सिद्धांत निम्नवत् होंगे :–

1. "राज्य कैम्पा" प्राकृतिक वनों का संरक्षण, वन्य जीवों के प्रबंधन तथा इनसे संबंधित अन्य कार्यों की आधारभूत संरचनाओं के विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करेगी।
2. वर्तमान में "एडहॉक कैम्पा" में जमा क्षतिपूरक वनरोपण, अतिरिक्त क्षतिपूरक वनरोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण, निवल वर्तमान मूल्य (NPV) तथा अन्य सभी मदों से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी से वसूल की गयी राशि को State CAMPA प्राप्त करेगी।
3. State CAMPA एडहॉक कैम्पा से प्राप्त राशि का प्रबंधन करेगा तथा क्षतिपूरक वनरोपण, वनों के प्राकृतिक संवर्द्धन, संरक्षण, सुरक्षा तथा आधारभूत संरचनाओं का विकास, वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा एवं इनसे संबंधित क्रिया कलापों या आकस्मिक कार्यों में सहायता के लिए प्राप्त राशि के उपयोग हेतु वचनवद्ध होगी।
4. State CAMPA क्षतिपूरक वनरोपण तथा NPV दोनों से प्राप्त राशि एवं उससे प्राप्त सूद की राशि के लिए कोष का कार्य करेगा। निधि के प्रबंधन हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत वनों के संरक्षण, सुरक्षा, संवर्द्धन, प्रबंधन साथ ही वन्य जीव संवर्द्धन तथा वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास की बढ़ोत्तरी के लिए राशि विमुक्त करेगी।
5. State CAMPA वनों के संवर्द्धन एवं सुरक्षा के लिए कार्य करेगी तथा इस हेतु संस्थागत विकास के लिए राशि भी उपलब्ध कराएगी, जिसके अन्तर्गत वन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण (वन क्षेत्र स्तर तक), आवास, उपकरण तथा कर्त्तव्य निर्वहन हेतु वाहन की सुविधा आदि होंगे।
6. State CAMPA जहाँ कर्मियों की कमी है, वहाँ पर अपने कोष के लघु भाग का उपयोग, संविदा के आधार पर कर्मियों का नियोजन करने में कर सकती है। यह कार्य सावधानी पूर्वक किया जाएगा, ताकि राज्य सरकार को आवर्त्ती राजस्व व्यय का भार वहन नहीं करना पड़े।
7. State CAMPA राज्य वन विभाग के द्वारा वनों के संरक्षण हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों में सहयोग हेतु युवाओं एवं छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देगी।
8. उद्देश्य एवं लक्ष्य :–

   स्टेट कैम्पा निम्न कार्यों को बढ़ावा देगी :–

   (i) वर्त्तमान प्राकृतिक वनों के संरक्षण, सुरक्षा, संवर्द्धन एवं प्रबंधन।
   (ii) सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर तथा बाहर वन्य प्राणियों एवं उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबंधन।
   (iii) क्षतिपूरक वन रोपण।
   (iv) कृषि वानिकी।
   (v) पर्यावर्णिक सेवाएँ जैसे चरागाह, पर्यटन, वन्य जीव सुरक्षा एवं जीवन रक्षक।
   (vi) अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं दक्षता वृद्धि।

9. **State CAMPA का कार्य :–**

(i) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि के अपयोजन के बदले में क्षतिपूरक वनरोपण के लिए धन उपलब्ध कराना, उसका निरीक्षण एवं बढ़ावा देना।

(ii) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वन क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीव संरक्षण तथा सुरक्षा के मद में प्राप्त राशि के लिए अलग लेखा का संधारण।

(iii) सुरक्षित वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा के मद में प्राप्त राशि के लिए अलग लेखा का संधारण।

(iv) कृषि वानिकी के माध्यम से वृक्षाच्छादन को बढ़ाना।

(v) इस कार्यक्रम को पारदर्शी बनाना तथा जन समर्थन को बढ़ावा देना।

(vi) अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के लिए निधि के दो प्रतिशत राशि को कर्णांकित करना।

10. **State CAMPA की स्थापना :–**

1. स्टेट कैम्पा में निम्नांकित राशि जमा होगी :–

   (i) एडहॉक कैम्पा द्वारा इसे स्थानान्तरित राशि।

   (ii) प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त क्षतिपूरक वनरोपण, अतिरिक्त क्षतिपूरक वनरोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण, निवल वर्तमान मूल्य (NPV), जल-क्षेत्र उपचार योजना या वन (सं०) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के द्वारा लगाये गये शर्त्तों के अनुपालन के क्रम में प्राप्त राशि।

   (iii) प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त वैसी राशि जो अब तक खर्च नहीं की गयी है एवं उसे एडहॉक कैम्पा में अब तक जमा नहीं किया गया है।

   (iv) सुरक्षित वन भूमि एवं आश्रयणी की भूमि के अपयोजन के क्रम में वन्य प्राणी तथा जैव विविधता की सुरक्षा हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी से वसूलनीय राशि जो अलग शीर्ष में संधारित है।

   (v) दिनांक–29.10.2002 के पश्चात् NPV मद में प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त राशि।

2. राज्य सरकार "स्टेट कैम्पा" में निम्न राशि को भी जमा करेगी –

   (क) अनुदान अथवा सहायता राशि यदि कोई हो।

   (ख) प्राधिकार द्वारा लिया गया कोई ऋण अथवा उधार की राशि

   (ग) प्राधिकार के द्वारा लाभांश, उपहार या दान स्वरूप प्राप्त राशि।

3. स्टेट कैम्पा, प्राप्त राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक के सूद देय लेखा में जमा करेगी तथा संचालन समिति के द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना (APOs) में वर्णित कार्यों के लिए नियत समय पर निकासी करेगी।

11. **निधि का उपयोग :–**

स्टेट कैम्पा में उपलब्ध राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जायेगा :–

(i) स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के तहत वनों एवं वन्य जीव प्रबंधन के विकास रख–रखाव तथा सुरक्षा के लिए।

(ii) स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत कृषि वानिकी के कार्यों पर खर्च करेगी।

(iii) स्टेट कैम्पा प्रबंधन के लिए आवर्त्ती एवं अनावर्त्ती व्यय, जिसमें पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन भत्ते की राशि शामिल होगी, का भुगतान स्टेट कैम्पा के द्वारा निवेश की गयी पूँजी से प्राप्त सूद से किया जायेगा, परन्तु प्रयोक्ता एजेन्सी से वन भूमि के अपयोजन मद में प्राप्त राशि का उपयोग वन्य प्राणी एवं जैव विविधता के सुरक्षा हेतु ही किया जायेगा।

(iv) अनुश्रवण एंव मूल्यांकन हेतु प्रत्येक वर्ष खर्च की जानेवाली राशि 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(v) वन संरक्षण से संबंधित अन्य परियोजनाओं के लिए भी राशि का व्यय किया जायेगा।

12. निधि **का वितरण** :–

(1) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृत किये गये प्रस्ताव के साथ स्थल निर्धारित योजना के लिए क्षतिपूरक वन रोपण, अतिरिक्त क्षतिपूरक वनरोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण, डूब–क्षेत्र उपचार योजना की राशि का उपयोग किया जायेगा।

(2) राशि की प्राप्ति के पश्चात स्टेट कैम्पा के द्वारा उस क्षतिपूरक वनरोपण का कार्य जिसके लिए राशि प्राप्त हुई है, एक वर्ष के भीतर या योजना की समाप्ति के दो वनरोपण अवधि में जो उपयुक्त हो, पूरा किया जायेगा।

(3) NPV मद में प्राप्त राशि का उपयोग वनों के प्राकृतिक, संवर्द्धन, प्रबंधन, सुरक्षा, ढ़ाँचागत विकास, वन्य जीव सुरक्षा एवं प्रबंधन, काष्ठ की आपूर्ति और अन्य वन उत्पादों को बचाने तथा अन्य संबंधित क्रियाओं के लिए किया जायेगा।

(4) माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित आदेश अथवा राष्ट्रीय वन्य प्राणी पर्षद के निर्णयों के आलोक में वन भूमि अपयोजन से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्राप्त राशि को विशिष्ट मद में रखा जायेगा एवं इस सुरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण तथा सुरक्षा हेतु उपयोग किया जायेगा।

(5) स्टेट कैम्पा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप पूर्व निर्धारित किश्तों में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को राशि की विमुक्ति करेगी।

13. स्टेट कैम्पा के अन्तर्गत एक शासी पर्षद (Governing Body), एक संचालन समिति (Steering Committee) तथा एक कार्यकारी समिति (Executive committee) होगी।

14. **राज्य कैम्पा के शासी पर्षद का गठन निम्नवत् किया जाता है :–**

(i)	मुख्यमंत्री	–	अध्यक्ष
(ii)	मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग	–	सदस्य
(iii)	मंत्री, वित्त विभाग	–	सदस्य
(iv)	मंत्री, योजना एवं विकास विभाग	–	सदस्य
(v)	मुख्य सचिव, बिहार	–	सदस्य
(vi)	विकास आयुक्त, बिहार	–	सदस्य
(vii)	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
(viii)	प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग	–	सदस्य
(ix)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार	–	सदस्य
(x)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार	–	सदस्य
(xi)	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग		–सदस्य सचिव

शासी पर्षद का कार्य :– शासी पर्षद, "स्टेट कैम्पा" के कार्य के लिए विस्तृत नीति निर्धारित करेगी एवं समय–समय पर इसके कार्यों की समीक्षा भी करेगी।

14.2 **स्टेट कैम्पा के संचालन समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–**

(i)	मुख्य सचिव, बिहार	–	अध्यक्ष
(ii)	विकास आयुक्त, बिहार	–	उपाध्यक्ष
(iii)	प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार	–	सदस्य
(iv)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार,	–	सदस्य
(v)	प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार	–	सदस्य
(vi)	प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार	–	सदस्य
(vii)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार	–	सदस्य
(viii)	मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार	–	सदस्य

(ix) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि — सदस्य

(x) राज्य सरकार के द्वारा दो वर्षों के लिए नामित गैर सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि जो पूर्ननामाकंन के भी पात्र होंगे। — सदस्य

1. मंदार नेचर क्लब, आंनद चिकित्सालय, भागलपुर
2. तरूमित्र, पटना

(xi) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार —सदस्य सचिव

14.3 **संचालन समिति का कार्य :–**

(i) स्टेट कैम्पा के उद्देश्य एवं सिद्धांतों के अनुरूप पर्षद तथा इसके कार्यकारी समिति के क्रियान्वयन हेतु नियमों एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित/स्वीकृत करेगी।

(ii) स्टेट केम्पा के द्वारा विमुक्त की गयी राशि के उपयोग की प्रगति का अनुश्रवण करेगी।

(iii) कार्यकारी समिति द्वारा तैयार किये गये वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति देगी।

(iv) स्टेट कैम्पा के वार्षिक प्रतिवेदनों एंव अंकेक्षित लेखाओं को स्वीकृत करेगी।

(v) अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित करेगी।

(vi) छः महीने में कम से कम एक बैठक करेगी।

15.1 **"राज्य कैम्पा" के कार्यकारी समिति का गठन निम्नवत् किया** जाता है :–

(i) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार — अध्यक्ष

(ii) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार — सदस्य

(iii) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार — सदस्य

(iv) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय के लेखाधिकारी/वरीयतम सहायक वन संरक्षक जो लेखा के कार्यो के प्रभारी है। — सदस्य

(v) राज्य सरकार के द्वारा नामित दो वर्षो की अवधि के लिए राज्य के दो प्रमुख गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि जो पूर्ननामांकन के भी पात्र होंगे। — सदस्य

1. प्रो० सुनील कुमार चौधरी,
   विक्रमशिला बायोडाईभरसीटी एडुकेशन एण्ड रिसर्च सेंटर,
   वनस्पति विज्ञान विभाग, तिलकामांझी,
   भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
2. भारत–भारती, शैक्षणिक संस्थान,
   कर्पूरी भवन,
   शोभा नगर,
   डुंगर हाई स्कूल ,
   पारा, डा० राजेन्द्र पथ, कटिहार

(vi) मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी वन (संरक्षण), बिहार —सदस्य सचिव

15.2 **कार्यकारी समिति का कार्य :–**

(i) State CAMPA के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए संचालन समिति के द्वारा स्वीकृत नियमों एवं प्रक्रियाओं तथा स्वीकृत APO अनुसार सभी कदम उठायेगी।

(ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य के विभिन्न कार्यों के लिए अगले वर्ष हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार करना तथा इसे चालू वित्तीय वर्ष के दिसम्बर माह के अन्त में संचालन समिति के समक्ष उपस्थापित करना। राशि विमुक्ति के लिए संचालन समिति की सहमति, प्रस्तावित कार्यों के विस्तृत तथा प्राक्कलित दर के आलोक में प्राप्त करना।

(iii) स्टेट कैम्पा से निर्गत निधि द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों का निरीक्षण करना।

(iv) निधियों के आय–व्यय लेखा के अंकेक्षण हेतु उत्तरदायी।

(v) कार्य एजेन्सी स्तर तक के लेखा के संधारण हेतु नियम बनाना।

(vi) संचालन समिति के पुनर्विचार/विचार हेतु प्रतिवेदन समर्पित करना।

(vii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के जून माह के अन्त तक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।

16. **लेखा प्रक्रिया :–**

(1) स्टेट कैम्पा अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपना आय–व्यय लेखा तैयार करेगा जिसमें अनुमानित आय–व्यय का ब्योरा होगा। यह बजट विहित समय तथा प्रपत्र में संधारित किया जायेगा।

(2) स्टेट कैम्पा वित्तीय विनियमन एवं प्रक्रिया, विशेष रूप से वार्षिक कार्य योजना (APO) की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन को स्वीकार करेगा।

(3) राज्य कैम्पा संबंधित महालेखाकार की सलाह से लेखा एवं संबंधित अन्य अभिलेखों को संधारित करेगा एवं उस रूप में जैसा कि विहित किया जाय, वार्षिक लेखा विवरणी तैयार करेगा।

(4) महालेखाकार द्वारा राज्य कैम्पा के लेखा का अंकेक्षण उनके द्वारा निर्धारित अन्तराल पर किया जायेगा तथा अंकेक्षण में होने वाले व्यय, प्राधिकार द्वारा महालेखाकार को देना होगा।

(5) स्टेट कैम्पा के लेखा के अंकेक्षण के संबंध में महालेखाकार तथा उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को वही अधिकार तथा विशेषाधिकार तथा वही प्राधिकार होगा, जो कि महालेखाकार को सरकारी लेखा के अंकेक्षण में प्राप्त रहता है तथा विशेष कर उन्हें यह अधिकार होगा कि वे लेखा से संबंधित बही, लेखा, संबंधित विपत्र तथा अन्य संबंधित अभिलेख एवं कागजात की माँग कर सके तथा राज्य कैम्पा के कार्यालय का निरीक्षण कर सकें।

(6) महालेखाकार या उनके द्वारा इस संबंध में नियुक्त व्यक्ति से सत्यापित राज्य कैम्पा का लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन वर्षवार राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार तथा एडहॉक कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा भेजा जायेगा।

(7) राज्य सरकार एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को स्टेट कैम्पा के विशेष अंकेक्षण एवं कार्यान्वयन अंकेक्षण कराने की शक्ति होगी।

(8) वार्षिक प्रतिवेदन में निम्न तथ्यों का भी समावेश होगा :–

(i) विभिन्न सम्पन्न कार्यों का विवरण एवं उस पर व्यय की गयी राशि

(ii) राज्य कैम्पा द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि की विस्तृत विवरणी एवं

(iii) अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पर्यवेक्षण (Observation)

17.1 **कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –**

1. स्टेट कैम्पा के तहत कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु एक स्वतंत्र व्यवस्था राज्य में की जायेगी एवं इस व्यवस्था के तहत उपलब्ध राशि का प्रभावी/उचित उपयोग किया जायेगा।

2. राष्ट्रीय कैम्पा परामर्शदातृ परिषद को यह शक्ति प्रदत्त होगी कि वह राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि से सम्पन्न कार्यों के निरीक्षण एवं वित्तीय अंकेक्षण हेतु आदेश दे सकेगा।

3. राष्ट्रीय कैम्पा परामर्शदातृ परिषद् एवं राज्य स्तरीय संचालन समिति को यह शक्ति होगी कि कैम्पा से प्राप्त राशि के सही उपयोग नहीं किये जाने की स्थिति में वे शेष/आगामी राशि को रोक अथवा निलंबित करने की कार्रवाई कर सकती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6/11/10

(जे०एल० मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव

11-01-2010

ज्ञापांक–वन भूमि–21/2009 654 (अ) प०व० पटना–15, दिनांक–......../12/2009

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ सी०डी० एवं हॉर्डकॉपी के साथ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि उसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को आपूर्ति करने की कृपा की जाय।

ह०/-

(देव नन्दन यादव)
सरकार के उप सचिव 11-01-2010

ज्ञापांक–वन भूमि–21/2009 654 (अ) प०व० पटना–15, दिनांक–......../12/2009

प्रतिलिपि :– सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, सी०जी०ओ० कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(देव नन्दन यादव)
सरकार के उप सचिव 11-01-2010

ज्ञापांक–वन भूमि–21/2009 654 (अ) प०व० पटना–15, दिनांक–......../12/2009

प्रतिलिपि :– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्री एवं राज्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव/सभी विभागाध्यक्ष बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(देव नन्दन यादव)
सरकार के उप सचिव 11-01-2010

ज्ञापांक–वन भूमि–21/2009 654 (अ) प०व० पटना–15, दिनांक–......../12/2009

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक बिहार, पटना से अनुरोध है कि इसे अपने स्तर से भी सभी संबंधित पदाधिकारियों के मध्य प्रचारित कराया जाय।

11.1.10

(देव नन्दन यादव)
सरकार के उप सचिव